

(iii) ~~_____~~

प्रस्तुत करने पर ही अभिश्रव अथवा पात्रता के अनुसार निर्धारित होटल दर, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

(iii) 6 से 12 घंटे तक मुख्यालय से बाहर रहने पर आधे दर से तथा 12 घंटे से अधिक मुख्यालय से बाहर रहने पर पूर्ण दर से भोजन शुल्क अनुमान्य है। भोजन शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु अभिश्रव की आवश्यकता नहीं है।

(iv) आवासन एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहने पर किसी प्रकार का दैनिक भत्ता अनुदेय नहीं है।

विश्वसभाजन

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-01/2017-6221/वि०

पटना, दिनांक-07-07-2026

प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



7.7.26

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)

ई-मेल

बिहार सरकार

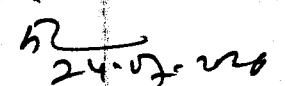
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:-01/स्था0-06-13/2025-4297

पटना, दिनांक- 27/07/2026

प्रतिलिपि:- विभाग (मुख्यालय एवं मुख्य अभियंता कार्यालय) में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता IT, WRD IT Centre, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं IT Manager, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सभी मुख्य अभियंताओं को ईमेल करने हेतु प्रेषित।



(संजय प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

24.7.26